बिल का सारांश

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) बिल, 2023

- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) बिल, 2023 को 13 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। बिल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा एक्ट, 2011 में संशोधन करता है। एक्ट केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत विकास और अतिक्रमण को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षित करता है। इनमें स्लम निवासी, फेरीवाले, अनाधिकृत कालोनियां, स्कूल, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थान और कृषि गोदाम शामिल हैं। इन मुद्दों के हल करने के लिए केंद्र सरकार को कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) मानदंडों, नीति दिशानिर्देशों और रणनीतियों को अंतिम रूप देना, और (ii) नई जगह पर बसाने और पुनर्वास के लिए सुव्यवस्थित तरीके से प्रबंध करना।
- **एक्ट की वैधता** 2026 **तक बढ़ाई गई**: एक्ट शुरू में 31 दिसंबर, 2014 तक वैध था, बाद के संशोधनों के साथ इसे 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया। बिल में इस वैधता को 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

अर्पिता मलिक
arpita@prsindia.org

18 दिसंबर, 2023